भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान

मरू क्षेत्रीय परिसर,श्रीगंगानगर रोड, बीछवाल आधोगिक क्षेत्र, बीकानेर–6 (राज0)

कमांक 3(5)बीके/रेट कान्टे0/2016 — दिनांक 17–06–2016

निविदा प्रपत्र सूची

1– भरे हुये निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि : दिनांक 11–07–2016 दोपहर बाद 1–00 बजे तक
2– निविदा खोलने की अंतिम तिथि : दिनांक 11–07–2016 दोपहर बाद 3–00 बजे राशि
3– अमानत राशि : रूपये 2,000/–
4– निविदा की मान्य अवधि : 120 दिन

क0सं0	कार्य का विवरण	अनुमानित समय अवधि	दर प्रतिदिन सभी करों एवं खर्चो सहित (अंको व शब्दो में)
1–	संस्थान परिसर के सम्पदा अनुभाग के अधीन कारपेन्टर, प्लम्बर एवं मेसन से संबंधित कार्यो को जॉब कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत काल बेसिस के आधार पर करवाने हेतु	कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए	
	अ– कारपेन्टर		अंको में रू0——— शब्दो में रू0———
	ब– पलम्बर		अंको में रू0——— शब्दो में रू0———
	स– मैसन		अंको में रू0——— शब्दो में रू0———

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भांति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है । मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझे व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दशार्ये गये सभी कार्यो का पूर्ण ज्ञान है । मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर संस्थान के सम्पदा अनुभाग के अधीन कारपेन्टर, प्लम्बर एवं मैसन से संबंधित कार्य को जॉब कान्ट्रेक्ट अनुबन्ध के अन्तर्गत कॉल बेसिस के आधार पर सम्पन्न करवाने के लिए सहमत हूँ । मै प्रभारी सम्पदा अनुभाग या उनके प्रतिनिधि के दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य करता रहूँगा । मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूंगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियो से कुशलता पूर्वक व्यवहार रखूँगा । यदि मेरे या मेरे प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य मे किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने या बताये हुए कार्य को पूर्ण नहीं करने की स्थिति में मेरी अमानत/जमानत राशि को जब्त करते हुए मेरा अनुबन्ध निरस्त किया जा सकता है जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी ।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मै भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूंगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों को मजदूरी का भुगतान समय–2 पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूंगा ।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली भांति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम तथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य है । अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कान्ट्रेक्ट के अलावा कोई संबंध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगा ।

हस्ताक्षर
फर्म,प्रतिनिधि/ठेकेदार का नाम———
पूरा पता———
दूरभाष/मो0नं0———

दिनांक———

संस्थान परिसर के सम्पदा अनुभाग के अधीन कारपेन्टर, प्लम्बर एवं मेशन से संबंधित रिपेयरिंग कार्यो को जॉब कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत काल बेसिस के आधार पर करवाने हेतु निविदा की नियम व शर्ते–

1– निविदा प्रपत्र इस संस्थान द्वारा जारी प्रदत्त प्रपत्र/संस्थान की वेबसाईट से डाउनलोड किये गये प्रपत्र पर ही स्वीकार किये जायेगें । निविदा प्रभागाध्यक्ष महोदय के नाम कय अनुभाग में दिनांक 11–07–2016 तक समय 1–00 बजे (दोपहर बाद) तक प्रस्तुत करना है । सशर्त, ईमेल द्वारा भेजे गये तथा देरी से प्राप्त निविदाऍ स्वीकार नहीं की जावेगी । फर्म/ठेकेदार के पास श्रम विभाग से पंजीकृत प्रमाण–पत्र/ वेट रजिस्ट्रेशन/सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन/आधार कार्ड अथवा पेन कार्ड तथा इसकी फोटो प्रति निविदा के साथ संलग्न करना आवश्यक है, संलग्न नहीं करने पर निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी । प्राप्त निविदाऍ उसी दिन दोपहर बाद 3–00 बजे निविदादाताओं के समक्ष खोले जाएगें ।

2– ठेकेदार को निविदा के साथ अमानत राशि रूपये 2,000/– नकद अथवा डिमान्ड ड्राफट जो कि सीएसडब्ल्यूआरआई यूनिट एआरसी, बीकानेर के नाम से देय हो,, जमा करानी होगी । बिना अमानत राशि के निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी । सफल ठेकेदार की अमानत राशि उसकी प्रार्थना पर जमानत राशि के रूप में परिवर्तित की जा सकेगी । इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा ।

3– कॉल बेसिस के आधार पर कार्य को जॉब कान्ट्रेक्ट अनुबन्ध देने के लिए न्यूनतम व उचित दर ही स्वीकार की जावेगी । यदि आवश्यक हुआ तो दर के बारे में आपसी बातचीत भी की जा सकती है ।

4– फर्म/ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता को अपनी दरें सभी करों एवं खर्चो को सम्मिलित करते हुए प्रति दिवस के आधार पर प्रस्तुत करनी होगी ।

5– न्यूनतम दर प्रस्तुत करना ही ठेका/अनुबन्ध/जॉब कान्ट्रेक्ट का आधार नहीं होगा । अनुबन्ध फर्म/ठेकेदार के अनुभव, कार्य करने अथवा करवाने की विश्वसनीयता तथा उसके द्वारा प्रस्तुत दर आदि का अध्ययन कारने के उपरान्त कार्य आवंटित किया जावेगा ।

6– अनुबन्ध की अवधि कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष रहेगी, लेकिन सक्षम अधिकारी महोदय की अनुमति से आगामी अवधि लिए आगे घटाया अथवा बढाया जा सकता है ।

7– अनुबन्ध कार्य के दौरान फर्म/ठेकेदार का कार्य संतोषजनक नहीं रहता है, प्रभारी सम्पदा व उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार कार्य नहीं किया जाता है या उनके बुलाने पर कार्य हेतु संस्थान परिसर में उपस्थित नहीं होता है तो कार्य अनुबन्ध किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है एवं जमा कराई गई जमानत राशि जब्त की जा सकती है ।

8– फर्म/अनुबन्ध कर्ता/उनके प्रतिनिधि द्वारा कार्य के दौरान संस्थान की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार का नुकसान/क्षति पहुॅचाई जाती है तो उसकी वसूली उनके कार्य के बिल/जमानत राशि से की जावेगी ।

9– अनुबन्ध कार्य के दौरान फर्म/अनुबन्ध कर्ता/ठेकेदार को भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी सभी श्रम नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना होगा ।

10– कॉल बेसिस के आधार पर किये गये कार्य का भुगतान संतोषजनक रूप से कार्य पूर्ण करने के पश्चात् बिल तीन प्रतियों में प्रस्तुत करने पर उचित समयावधि में किया जावेगा ।

11– अनुबन्ध कर्ता के बिल से नियमानुसार सेवाकर/आयकर (Service tax/Income tax) एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज राशि की भी कटौती की जावेगी ।

12– आवंटित कार्य को पूर्ण करने के दौरान ठेकेदार/फर्म/ऐजेन्सी/अथवा उनके प्रतिनिधि/श्रमिक को सांप/बिच्छू या किसी जहरीले जानवर के काटे जाने या किसी भी प्रकार की दुर्घटनाग्रस्त होने पर संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी एवं खर्चा स्वयं को वहन करना होगा तथा संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी ।

13– किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अंतिम निर्णय देने का अधिकार निदेशक, केन्द्रीय भेड़ व उन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर का होगा तथा विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार सक्षम अधिकारी महोदय द्वारा निर्धारित किये गये स्थान अविकानगर/बीकानेर होगा जिसे ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता फर्म को मान्य होगा ।

14– यह कार्य केवल जॉब कान्ट्रेक्ट के आधार पर कॉल बेसिस के लिए माना जावेगा । अनुबन्ध की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार/अनुबन्धकर्ता अथवा उसके प्रतिनिधि से जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई संबंध नहीं रहेगा ।

15– ठेकेदार को प्लम्बर, कारपेन्टर, मैसन से संबंधित कार्यो को पूर्ण करने के लिए हेल्पर की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी । किसी भी प्रकार का अतिरिक्त देय नहीं होगा ।

16– रिपेयर से संबंधित सभी मेटेरियल संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाये जायेगें ।

17–संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बतायें किसी भी समय जारी जॉब/रेट कान्ट्रेक्ट अनुबन्ध आदेश को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है ।

संस्थान परिसर के सम्पदा अनुभाग के अधीन कारपेन्टर, प्लम्बर एवं मेसन से संबंधित कार्यो को जॉब कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत काल बेसिस के आधार पर करवाये जाने वाले कार्यो का विवरण	
1–	कारपेन्टर से संबंधित करवाये जाने वाले कार्यो का विवरण– मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के आवासीय क्वार्टर टाईप–V- 1 नं0, टाईप–IV- 2 नं0, टाईप–III- 3 नं0, टाईप–II- 4 नं0, टाईप–I- 4 नं0, किसान प्रशिक्षण हॉस्टल, किसान धर, सुरक्षा कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, प्रयोगशालायें, मारवाडी, मगरा, एवं चौकला सेक्टर, फार्म स्टॉर, फीड यूनिट, वाहन एवं कार्यशाला, सेन्ट्रल पार्क, टेक्नॉलोजी पार्क पशु प्रक्षेत्र इत्यादि मे स्थापित खिडकी दरवाजों की मरम्मत करना, शटर मरम्मत करना, टॉवल, रेल, मिरर, चिटकनी, चोखट, कब्जे, हेन्डल, कॉच बदलना, वेन्टिलेटर, आलमारी, डोर, स्प्रिंग इत्यादि की मरम्मत करना एवं बदलने का कार्य । कारपेन्टर से संबंधित सभी सम्पूर्ण मरम्मत कार्य ।
2–	प्लम्बर से संबंधित करवाये जाने वाले कार्यो का विवरण– मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के आवासीय क्वार्टर टाईप–V- 1 नं0, टाईप–IV- 2 नं0, टाईप–III- 3 नं0, टाईप–II- 4 नं0, टाईप–I- 4 नं0, किसान प्रशिक्षण हॉस्टल, किसान धर, सुरक्षा कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, प्रयोगशालायें, मारवाडी, मगरा, एवं चौकला सेक्टर, फार्म स्टॉर, फीड यूनिट, वाहन एवं कार्यषाला, सेन्ट्रल पार्क, पशु प्रक्षेत्र, सेन्ट्रल पार्क, टेक्नॉलोजी पार्क, इत्यादि मे स्थापित सिक, वासपेशन, प्लस, बाथरूम/टायलेट की जी0आई0 फिटिंग, नल, छत की पानी की टंकी की फिटिंग,फव्वारा, टूटी

	हुई पानी की लाईनों की मम्मत, सेक्टरों एवं फार्म क्षेत्र में मेन सप्लाई लाईन इत्यादि की मरम्मत इत्यादि का कार्य करना एवं सामान बदलने का कार्य । प्लम्बर से संबंधित सभी सम्पूर्ण मरम्मत कार्य ।
3–	मैसन (राज मिस्त्री) से संबंधित करवाये जाने वाले कार्यो का विवरण– मरू क्षेत्रीय परिसर, बीकानेर के आवासीय क्वार्टर टाईप–V- 1 नं0, टाईप–IV- 2 नं0, टाईप–III- 3 नं0, टाईप–II- 4 नं0, टाईप–I- 4 नं0, किसान प्रशिक्षण हॉस्टल, किसान धर, सुरक्षा कक्ष, प्रशासनिक कार्यालय, प्रयोगशालायें, मारवाडी, मगरा, एवं चौकला सेक्टर, फार्म स्टॉर, फीड यूनिट, वाहन एवं कार्यशाला, सेन्ट्रल पार्क, पशु प्रक्षेत्र, सेन्ट्रल पार्क, टेक्नॉलोजी पार्क, इत्यादि मे फर्श, फर्श टाईल, टूटी दीवारों, छतो की लीके, छज्जो की मरम्मत करना, बाउन्डी वाल मरम्मत करना, टूटे हुये सीमेन्ट, प्लास्टिक, सी आई के टेक डउन पाईप बदलना, सीमेन्ट की चोखट लगाना एवं मरम्मत करना, सीवर लाईन के चेम्बर इत्यादि की मरम्मत करना, गली टेप, वासवेषन, सिंक, डब्ल्यू सी इत्यादि लगाना एवं मरम्त करना, पानी की खेली बनाना, बलेनस प्लेट फार्म मरम्मत करना, आवश्यकतानुसार एंगल पोल लगवाना/मरम्मत करना, टूटी बाउन्डरी मरम्मत करना । कार्य में 5 वर्ग मीटर तक तथा चुनाई कार्य 5 धनफट तक करना, सीसी रोड की मरम्मत करना इत्यादि मैसन से संबंधित सभी कार्यो को पूर्ण करवाना ।

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैने निविदा प्रपत्र में दर्शायी गई सभी शर्तो का भली प्रकार से अध्ययन कर लिया/पढ लिया है जो मुझे पूर्ण रूप से स्वीकार्य है । संलग्न निविदा प्रपत्र में दशार्यी गई दरों पर संस्थान के सम्पदा अनुभाग के अधीन कारपेन्टर, प्लम्बर, मैसन से संबंधित कार्य को जॉब कान्ट्रेक्ट के अन्तर्गत कॉल बेसिस के आधार पर करने हेतु सहमत हूँ ।

हस्ताक्षर निविदा दाता
निविदादाता का नाम व पता
मोबाईल नं0

संलग्न–

1– श्रम विभाग से पंजीकृत प्रमाण–पत्र/ वेट रजिस्ट्रेशन/सर्विस टेक्स रजिस्ट्रेशन/आधार कार्ड अथवा पेन कार्ड की छाया प्रति
2– अमानत राशि रूपये 2,000/– (नगद अथवा डिमान्ड ड्राफट)
3–अनुभव प्रमाण–पत्र यदि कोई हो तो